महत्वपूर्ण

संख्या– 21 /नौ–7–2022–41(ज)/2021

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।
3. समस्त नगर आयुक्त, नगर निगम, उ0प्र0।
4. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–7 **लखनऊ : दिनांक : 05 जनवरी, 2022**

विषयः नगरीय निकायों में निराश्रित/बेसहारा गोवंश के संरक्षण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या– 1702/नौ–7–2021–41(ज)/ 2021 दिनांक 09.12.2021 तथा पत्र संख्या–1752/नौ–7–2021–41(ज)/ 2021 दिनांक 15.12.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा गो–आश्रय स्थलों के संचालन, प्रबंधन, के विषयगत आवश्यक कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये है।

2. उक्त के क्रम में निराश्रित/बेसहारा गोवंश के भरण–पोषण एवं संरक्षण के विषयगत निम्नलिखित बिन्दुओं के संबंध में विशेष कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी हैः–

(1) दिनांक 05.01.2022 से दिनांक 10.01.2022 तक विशेष अभियान चलाकर नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक स्थलों/सड़को पर पाये जाने वाले निराश्रित एवं बेसहारा गोवंशों को पकड़कर कान्हा गौशाला/गौ–आश्रय स्थलों में रखते हुए उनके भरण–पोषण एवं संरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

उक्त के विषयगत की गयी कार्यवाही की सूचना निर्धारित प्रारूप (प्रारूप संलग्न) पर दिनांक 11.01.2022 तक निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 द्वारा उक्त सूचना संकलित कर यथाशीघ्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(2) गोवंश आश्रय स्थलों के संचालन एवं गोवंश के भरण–पोषण की व्यवस्था स्थानीय निकायों द्वारा यथा संभव अपने स्वयं के संसाधनों से की जायेगी। उक्त हेतु निकायों में उपलब्ध संसाधनों में कमी के दृष्टिगत अतिरिक्त धन की आवश्यकता होने पर संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष के आगामी माहों हेतु अधिकतम दिनांक 31 मार्च 2022 तक की मांग एवं पूर्व में निर्गत प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि के विषयगत उपयोगिता प्रमाण–पत्र निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को 08 दिवस के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा। निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा उक्त मांग को संकलित कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

AnyScanner

(3) स्थायी/अस्थायी गौ–आश्रय स्थलों के बाहर और भीतर सूचना पट्ट लगायी जाय, जिसमें पशुओं के बीमारी के नाम एवं उनके लक्षण,पशु चिकित्साधिकारी का नाम एवं उनका दूरभाष संख्या को स्पष्ट अंकित किया जाय, जिससे पशु रक्षक/श्रमिक को गोवंश के बीमार होने की स्थिति में समयान्तर्गत पशु चिकित्साधिकारी की सहायता प्राप्त हो सके।

(4) निकायों द्वारा संचालित स्थायी/अस्थायी गौ–आश्रय स्थलों का निरीक्षण संबंधित नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी द्वारा पाक्षिक रूप से किया जाय तथा उक्त निरीक्षणोंपरान्त इसके संबंध में आख्या अविलम्ब निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

3. इस संबंध मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त अपेक्षा के कम में अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त:

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

प्रारूप

दिनांक 05.01.2022 से दिनांक 10.01.2022 तक चलाये जा रहे विशेष अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों/सड़कों पर पाये जाने वाले निराश्रित/बेसहारा गोवंशों को पकड़कर पशु आश्रय स्थलों में रखे जाने का तिथिवार विवरण

क0सं0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	निकाय में स्थित गौ–आश्रय स्थल का नाम	वर्तमान समय(विशेष अभियान से पूर्व) गौ–आश्रय स्थल पर रखे गये गोंवशों की सं0	विशेष अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थलों/सड़कों पर पाये जाने वाले निराश्रित/बेसहारा गोवंशों को पकड़कर पशु आश्रय स्थलों में रखे जाने का विवरण						विशेष अभियान के पश्चात गौ–आश्रय स्थलों में संरक्षित पशुओं की कुल सं0
					दिनांक 05.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	दिनांक 06.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	दिनांक 07.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	दिनांक 08.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	दिनांक 08.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	दिनांक 09.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	दिनांक 10.01.2022 को पकड़े गये छुट्टा पशुओं की सं0	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.												
2.												

05.01.2022

(कल्याण बनर्जी)
संयुक्त सचिव।

so.naagarvikas 2020 landscape